उपखण्ड अधिकारी महोदय
अजमेर।

2023/142

विषय: राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मांकड़वाली पटवार मण्डल मांकड़वाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांकड़वाली तहसील अजमेर की जमाबंदी सवत 2073-76 खाता सं. 268 मे रामपाल कुल 1 दर्ज है।

अकन है। जब कि जमाबंदी सवत वर्तमान जमाबंदी के खाता सं 268 मे रामपाल कुल 1 के स्थान पर रामपाल उर्फ पूसा कुल 1 जाति गुर्जर स्व० दर्ज अकन दर्ज था। उक्त अकन वर्तमान जमाबंदी मे बिना किसी आधार के गलत अकन हो गया। अतः जमाबंदी मे पूर्व जमाबंदी स — के अनुसार दुरूस्ती करने की कृपा करावे।

दिनांक 30/04/23

प्रार्थी पूसा

पता

सलग्न :

मौन

जाच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जाच की गई कि पंचसाला जमाबंदी स्व० स० 134 मे 1 कुल वल्द लाल के बजाय वास्ते 14 द्वारा रामपाल कुल 1 का अकन

अकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अकन के स्थान पर नवीन अकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र, सरपंच स्व०प० मांकड़वाली द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व राशन-कार्ड आधार-कार्ड पंच-पंचायत व जमाबंदी स्व०स० 264 अनुसार दुरूस्त करने की अनुशंषा की जाती है। गलत उर्फ पूसा कुल 1 दर्ज किया जाकर जाने की

मुताबिक हल्का पटवारी जाँच रिपोर्ट अनुसार अकन सही किया जाकर अंकित किया जाकर 1/5/23

हस्ताक्षर पटवारी
मांकड़वाली
30/04/23

हस्ताक्षर भू अभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

क्रमांक:उखअ/राजस्व/शिविर/21/ दिनांक:

प्रशासन गांव के संग अभियान-2023

रिपोर्ट व अनुशंषा पटवारी हल्का ..... भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ..... व तहसीलदार अजमेर के आधार पर ग्राम ..... पटवार मण्डल ..... भू अभिलेख क्षेत्र ..... तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं ..... खसरा नम्बर ..... पर नवीन अकन राजस्थान भू काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का मिलान/जाच एवं गा. न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात ही रिकार्ड में अमल दरामद करावे।

May reject this application, may apply to competent court.

9/5/2023
उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

9/5/2023
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांव के संग अभियान-2023